पंचम

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2023 सत्र

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या – 47, 44, 46, 43,

मांग संख्या – 20, 56,

मांग संख्या – 11, 7,

मांग संख्या – 55 एवं 34 से संबंधित

भाग - चार

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	
1.	**श्री उमेश पटेल**	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	**1 घंटा**
		44	उच्च शिक्षा	
		46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	
		43	खेल और युवक कल्याण	
2.	**श्री गुरू रूद्र कुमार**	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	**1 घंटा**
		56	ग्रामोद्योग	
3.	**श्री कवासी लखमा**	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	**2 घंटे**
		7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (आबकारी)	
4.	**श्रीमती अनिला भेंडिया**	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	**1 घंटा**
		34	समाज कल्याण	

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के मार्च, 2023 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2023–2024 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – चार में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
3. श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य
4. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
8. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
10. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य
11. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
12. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

मांग संख्या– 47

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मतदेय राशि रूपये 5,67,27,17,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 42

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) स्थानीय लोगों को रोजगार के लिये न्यूनतम दर पर भूमि का उल्लेख नहीं है।

(2) घर घर रोजगार – हर घर रोजगार के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) आऊट सोर्सिंग बंद करने कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

(4) रोजगार आयोग गठित का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रौद्योगिक विकास हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) तकनीकी शिक्षा के लिये विश्वविद्यालयों को सहायता राशि में कमी है उसमें वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पॉलिटेक्निक संस्थाऐं हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) स्थानीय रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) एक लाख रोजगार के ज्ञापन का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) रोजगार आयोग की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

(5) औद्योगिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कौशल विकास के लिये राशि का प्रावधान नहीं है।

(6) बलौदाबाजार–भाटापारा में साईंस सिटी के स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) भाटापारा के पॉलीटेक्नीक कॉलेज में ट्रेडो की वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश के सभी विकासखण्डों में आई टी आई के स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(9) भाटापारा में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) सिमगा में पॉलीटेक्नीक कॉलेज स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) बेरोजगारी भत्ता केवल दो वर्षों के लिये देना उचित नहीं है।

(13) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(14) तकनीकी शिक्षा हेतु ट्रेडो में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

(15) भाटापारा क्षेत्र के उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधान सभा क्षेत्र–लोरमी, जिला–मुंगेली अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ करने का बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बेरोजगारों के कल्याण हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार जिले में निजी उद्योगों/प्लांटों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधान सभा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 44

उच्च शिक्षा

मतदेय राशि **रूपये 9,52,16,20,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 38

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विकास खण्ड मुख्यालय नवागढ़ में आई.टी.आई. विषय संचालन एवं भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) टी.सी.एल.पी.जी. कॉलेज जांजगीर में नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर में इंजीनियरिंग कॉलेज के स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) रायपुर एवं बिलासपुर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने छात्रों को हॉस्टल सुविधा प्रदान करने हेतु प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बस्तर–सरगुजा राष्ट्रीय आदिवासी विश्व विद्यालय का प्रावधान नहीं है।

(3) जिला एवं राज्य स्तर पर कॉलेजों में यूथ फेस्टिवल का आयोजन का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना के लिये राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

तहसील जाराह गांव में महाविद्यालय स्थापना के संबंध में का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के लिये बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान नही है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) स्मार्ट क्लास रूम व ई–क्लास रूम एवं कॉलेजों में वाई–फाई सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बिलासपुर अंतर्गत नवीन शारिरीक महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) विधान सभा बिल्हा में नवीन महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) कौशल उन्नयन के तहत् प्रशिक्षितों को तत्काल रोजगार प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के सभी पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) रोजगार आयोग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सभी छात्र–छात्राओं को मुफ्त पुस्तक और स्टेशनरी प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मोपका निपनिया नवीन कॉलेज के भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(3) सभी छात्र–छात्राओं को कॉलेज में ही रोजगार पंजीयन की सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) सभी महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) सिमगा महाविद्यालय में खेल मैदान और बांउड्रीवॉल का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) सभी कॉलेजों में स्मार्ट क्लास और ई–क्लास रूम हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(7) सभी महाविद्यालयों में सी.सी.टी.व्ही. लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) सिमगा महाविद्याल के उन्नयन का कोई प्रावधान नहीं है।

(9) सभी महाविद्यालयों के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों को भरने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) महाविद्यालयों में फ्री वाई–फाई सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है।

(11) आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विश्व विद्यालय भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

7. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम कचंदा में महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) ग्राम कुरदा में महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) ग्राम छपारो में महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) बम्हनीडीह में महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) नरिमरा में महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) भोथिया में महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम–लालपुर थाना, तहसील–लालपुर थाना, जिला– मुंगेली में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी में छात्रावास बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) स्नाकोत्तर महाविद्यालय बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव महाविद्यालय, धमतरी में आहता निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) शासकीय नवीन महाविद्यालय आभदी में पी.जी. की कक्षाऐं प्रारंभ करने का प्रावधान नहीं है।

(4) शासकीय नारायण सब मेघावाले कन्या महाविद्यालय धमतरी में जीव विज्ञान, समाज शास्त्र, हिन्दी साहित्य, भौतिक शास्त्र, भूगोल में स्नातकोत्तर की कक्षाऐं प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पामगढ़ में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम पंचायत सलखन में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम पंचायत ससहा में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) ग्राम पंचायत भिलौनी में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम पंचायत मुलमुला में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधान सभा के अंतर्गत ग्राम सरोरा में नवीन महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधान सभा के अंतर्गत महाविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 46

विज्ञान और टेक्नालॉजी

मतदेय राशि **रूपये 26,69,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 41

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिक आयोग की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) वैज्ञानिकी को अनुसंधान के लिये पर्याप्त राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   वैज्ञानिक आयोग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   साईंस सिटी की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) वैज्ञानिक आयोग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) बिलासपुर में सांईस सिटी की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) वैज्ञानिक आयोग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) सभी नगरों में सांईस सिटी की स्थापना का प्रावधान नहीं है।
   (4) विज्ञान को ग्राम स्तर तक पहुंचाने विशेष कार्ययोजना का कोई प्रावधान नहीं है।
   (5) प्रदेश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शिक्षा के लिये विशेष कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   विधान सभा क्षेत्र लोरमी, जिला–मुंगेली के राजीव गांधी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भटगांव में नये विषय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाए नगर पंचायत आमदी एवं रावा में खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) धमतरी जिले में इंजनियरिंग महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 43

खेल और युवक कल्याण

मतदेय राशि रूपये 1,12,97,81,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 9

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विधान सभा जांजगीर चांपा में मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) नैला जांजगीर में जिम स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर चांपा के प्रत्येक ब्लॉक में 100 बिस्तर खेल छात्रावास का प्रावधान नहीं है।

(4) सर्व सुविधायुक्त इंडोर स्टेडियम जांजगीर में निर्माण का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के दूरस्थ अंचल से निकलने वाली खेल प्रतिभाओं के प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजे जाने हेतु योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) सभी ब्लॉक में सुसज्जित खेल परिसर व खेल छात्रावास के लिये राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) राज्य में खेल कोचों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।

(4) खेल अकादमी में कोच का प्रावधान नहीं है।

(5) स्कूलों में खेल शिक्षको की नियुक्ति के लिये पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) उत्कृष्ठ खिलाड़ियों की घोषणा का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) युवा इनोवेशन फंड की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

(9) महानगरों में यूथ हॉस्टल का उल्लेख नहीं है।

(10) खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी का प्रावधान नहीं है।

3. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु किये जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) मुंगेली विधान सभा में स्टेडियम एवं जिम निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(4) शासकीय सेवा में उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को कोटा निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय कम है।

(2) मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

(3) शिक्षा जेल कला और संस्कृति पर पूंजी व्यय कम है।

5. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) खिलाड़ियों से नौकरी में प्राथमिकता व आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) खेलों के लिये कोच की भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम बरतोरी विकासखण्ड बिल्दा जिला बिलासपुर में मिनी स्टेडियम निर्माण का प्रावधान नहीं है।

(4) ग्राम सावा विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम चन्द्रगढ़ी विकासखण्ड पथरिया जिला मुंगेली में मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त धनराशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) भाटापारा में इंडोर स्टेडियम के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को अंतराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कराने का प्रावधान नहीं है।

(4) प्रदेश के सभी खेल मैदानों के रख रखाव हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में पर्याप्त बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) खेल के दौरान होने वाले दुर्घटना/मृत्यु में मुआवजा राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) सभी ब्लॉक में 100 बिस्तर खेल छात्रावास बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) खेल प्रतिभा के खोज हेतु विशेष कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

(9) खेल प्रतियोगिताऐं तथा खेल सामाग्री के भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(10) खिलाड़ियों के लिये प्रोत्साहन राशि का प्रावधान नहीं है।

(11) सभी खेलों के लिये राज्य स्तर पर कोच कि व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

(12) ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने योजना का उल्लेख नहीं है।

(13) सभी ब्लॉक में खेल समिति का गठन करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धमतरी में कुश्ती खेल एकादमी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) रांवा में मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) गुजरा में मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) गौरव ग्राम कण्डेल में मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा,सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधान सभा के अंतर्गत खिलाड़ियों के खेल के विकास हेतु बजट का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ओरगन विकासखण्ड तिल्दा में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 20

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

मतदेय राशि **रूपये 14,33,66,32,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 34

1. **श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के गिरते जल स्तर को रोकने के कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में जल–जीवन–मिशन अंतर्गत घर–घर शुद्ध पेयजल पहुॅचाने हेतु योजना के उचित क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के समस्त स्कूल, कॉलेजों मे पेयजल उपलब्धता हेतु नलकूप व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जल–जीवन–मिशन समय पर पूर्ण होने का उल्लेख नहीं है।

(2) जल–जीवन–मिशन में व्यापक भ्रष्टाचार रोकने कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(3) सुपेबेड़ा की जनता को नल–जल सुविधा दिये जाने का उल्लेख नही है।

(4) प्रदेश में आर्सेनिक के कारण प्रदूषित जल को रोकने की योजना का उल्लेख नही है।

(5) फ्लोराईट युक्त पेयजल पी रही जनता को मीठा जल पहुॅचाने कोई योजना का उल्लेख नही है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त राशि नहीं है।

(2) जलपूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय पर्याप्त नहीं है।

4. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जल–जीवन–मिशन के कार्यो को प्रभावी रूप से समय–सीमा में पूर्ण करने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) विधान सभा बिल्हा के दगौरी में सामुदायिक जल प्रदाय योजना हेतु प्रावधान नहीं है।

(3) भू–जल में वृद्धि करने कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जल–जीवन–मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन पहुचाने के कार्य में तेजी लाने कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) भू–जल संरक्षण हेतु प्रवधानित पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) भू–जल स्तर में वृद्धि करने संबंधित योजना का उल्लेख नहीं है।

(4) जल आपूर्ति सफाई हेतु सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के सभी नलकूपों में जल स्तर बढ़ाने हेतु नवीन योजना का उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश के सभी शालाओं में पेयजल सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(7) विभाग में पम्प मेनो, नलकूप मेकेनिक की रिक्त पदों को भरने हेतु प्रावधान नहीं है।

6. **श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

सुपेबेड़ा में शुद्ध पेयजल प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत ग्रामों में नवीन पानी टंकी व नल–जल–योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

8. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक गॉव के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(3) प्रदेश में जल पूर्ति और सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

9. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

रूद्री समुह नल–जल प्रदाय योजना की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 56

ग्रामोद्योग

मतदेय राशि **रूपये 1,44,69,29,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –48

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के शिल्पकारों एवं बुनकरों को रोजगार मुहैया कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) रेशम कीट पालन उद्योग हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) ग्रामोद्योग को आगे बढ़ाने और उन्नत करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बुनकरों की योजनाओं के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामोद्योगों एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय का उल्लेख नहीं है।

4. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के बुनकर एवं शिल्पकारों को निरंतर रोजगार मुहैया कराने का उल्लेख नहीं है।

(2) रेशम कीट पालन हेतु पर्याप्त अनुदान राशि हेतु प्रावधान नहीं है।

(3) ग्रामोद्योग को उन्नत करने हेतु प्रशिक्षण का पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

(4) रेशम उद्योग हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) खादी के प्रोत्साहन हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के सभी जिलों में खादी भण्डार की स्थापना करने का प्रावधान है।

(2) ग्रामोद्योग की प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) जिला बलौदाबाजार में ग्रामोद्योग प्रदर्शनी प्रेत्साहन कार्यक्रम हेतु प्रावधान नहीं है।

(4) ग्रामोद्योग को उन्नत करने के लिऐ प्रशिक्षण के संबंध में प्रावधान नहीं है।

(5) रेशम उद्योग हेतु पर्याप्त धनराशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश के बुनकरों, शिल्पकारों को रोजगार हेतु नवीन कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।

(7) खादी बोर्ड़ के परिवारमूल्क परियोजनाओं हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

6. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) धमतरी विधान सभा में ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(2) समस्त पंजीकृत कुम्हार परिवारों को इलेक्ट्रानिक चॉक देने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामोद्योग को उन्नत करने के लिये प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 11

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 5,94,73,49,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 11

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) उद्योगों में 40 प्रतिशत प्रबंधक स्तर की नौकरी स्थानीय युवाओं की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) लघु उद्योग को सुविधा उपलब्ध कराने बजट में पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) औद्योगिक क्षेत्रों के सड़कों के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) औद्योगिक दुर्घटना से पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि देने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) औद्योगिक प्रदूषण रोकने कोई कार्ययेाजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   मुंगेली विधानसभा में नये उद्योग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण के लिए बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना कर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) लघु उद्योगों को बढ़ावा देने कारगर योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) जनपद मुख्यालय में फूडपार्क बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

   (4) विधानसभा बिल्हा अंतर्गत उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) लघु, वृहद, मध्यम उद्योगों के विकास हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) भाटापारा और सिमगा में वृहद उद्योग लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के उद्योग विहिन जिलो में औद्योगिककरण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) उद्योगों में स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) उद्योगों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) उद्योगों में हो रहे दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) नवीन औद्योगिक निजी में सुधार का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) जिला उद्योग केन्द्रों के विस्तार की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) सभी विकासखण्डों में जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) उद्योगों के लिए अनुदान की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) प्रदेश में 200 फूडपार्क की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) अधोसंरचना की मजदुरी के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) सभी फूडपार्कों में स्थानीयों को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) रायपुर, बिलासपुर में आई.टी. पार्क की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(15) नये सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदा बाजार विधानसभा के अंतर्गत लघु उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 3,35,76,63,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 5

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) शराब बंदी का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) अवैध शराब बिक्री रोकने कोई नीति का उल्लेख नहीं है।
   (3) अवैध शराब बिक्री के कारण राज्य को दंड का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) शराब बंदी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) शराब दुकानों की संख्या में कटौती किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश में शराब माफियों से मुक्ति दिलाये जाने कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
   (2) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत अवैध शराब बिक्री रोकने कोई नीति का उल्लेख नहीं है।
   (3) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत आबकारी नियंत्रण कक्ष खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (4) प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश में अवैध शराब बिक्री तथा पूर्ण शराब बंदी का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रदेश में शराब माफियों की वृद्धि पर अंकुश लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   प्रदेश के गांव–गांव, शहर–शहर में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

6. **श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   शराब बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है।

7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में शराब बंद करने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में शराब बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शराब बिक्री तथा पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) शराब माफियों से मुक्ति दिलाने कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अंध, मूक, बधिर शालाओं को अनुदान की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) दिव्यांगजनों को सामग्री वितरण हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(3) दिव्यांगों हेतु मोटराईज सायकल वितरण हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(4) दिव्यांगों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजना का बजट में प्रावधान नहीं है।

(5) प्रदेश में भारत माता वाहिनी के महिलाओं को मानदेय प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

(6) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश में दृष्टि एवं श्रवण बाधित व्यक्तियों को सामग्री प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

(8) समाज कल्याण महिला बाल कल्याण संस्थाओं को योजना के अंतर्गत पर्याप्त अनुदान का प्रावधान नहीं है।

(9) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार सुखद सहारा योजना के अंतर्गत राशि वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

(10) बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की व्यवस्था हेतु बजट में उल्लेख नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दिव्यांगजनों को स्वरोजगार योजना के तहत् दिये गए ऋण पर ब्याज माफी का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) 60 से 80 वर्ष को 1000 एवं 80 वर्ष से अधिक को 1500 सभी प्रकार के पेशन योजनाओं में देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) 40 प्रतिशत से अधिक समस्त दिव्यांगों को पेंशन देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) समस्त विधवाओं को पेंशन देने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 34

समाज कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 1,11,59,13,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 26

1. श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) महिला स्व सहायता समूहों के ऋणमाफी का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम सेमरा (कारीमाटी) में आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) 5000 मितानिनों की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मितानिनों को प्रतिमाह 5000 रूपये वेतन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) हर गांव में महिला सामुदायिक भवन का उल्लेख नहीं है।

(5) हर जिले में कामकाजी महिला भवन का उल्लेख नहीं है।

(6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर पर भुगतान नहीं का उल्लेख नहीं है।

(7) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी शिक्षक के रूप में उन्नयन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(8) सभी आंगनबाड़ी में स्वच्छ जल, शौचालय हेतु राशि नहीं का उल्लेख नहीं है।

(9) महिला स्व सहायता समूहों की सम्पूर्ण कर्ज माफी किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(10) महिला सुरक्षा के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(11) बच्चों में अनीमिया कम करने पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(12) महिला स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुंगेली विधानसभा में नवीन महिला बाल विकास की स्थापना हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मुंगेली विधानसभा के भवन विहीन केन्द्रों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बाल एवं महिला कल्याण हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नोनी सुरक्षा योजना हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(2) महिला स्व–सहायता समूहों का कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।

(3) कुपोषित बच्चों की कुपोषण से मुक्त करने की समय–सीमा का उल्लेख नहीं है।

(4) पथरिया में मितानिनों के लिये सर्व सुविधायुक्त भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) विधानसभा बिल्हा अंतर्गत नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य पोषण आहार प्रदाय किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत व्यय की पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) महिला स्व–सहायता समूहों के कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।

(4) आंगनबाड़ी भवनों के जीर्णोद्धार का उल्लेख नहीं है।

(5) भाटापारा के आंगनबाड़ी भवनों में बिजली एवं पंखा लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितिकरण, शासकीय भत्ता एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(7) राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक–बालिकाओं को छात्रवृत्ति में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रधानमंत्री मातृ वेदना की राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(9) रेडी–टू–ईट के लिए प्रयोगशाला की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, उत्थान करने का उल्लेख नहीं है।

(10) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पर्याप्त राशि का अभाव है।

7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) समस्त महिला स्व–सहायता समूह की कर्जमाफी का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती इन्दु बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम महका में आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 02 भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम सेमरिया में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(3) पामगढ़ चण्डीपारा में आंगनबाड़ी केन्द्र रोझनडीह में भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(4) ग्राम रसौटा में आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 07 में भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम जवेरा में आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 05 में भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

9. **श्री रजनीश कुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बेलतरा विधानसभा के मंगला केन्द्र क्रमांक 10 विकास नगर के वार्ड क्रमांक 15 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा विधानसभा के मंमला केन्द्र क्रमांक 6 विकास नगर के वार्ड क्रमांक 15 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधानसभा के मंगल केन्द्र क्रमांक 11 पंडित दीनदयाल नगर वार्ड क्रमांक 13 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) बेलतरा विधानसभा के मंगला केन्द्र क्रमांक पंडित दीनदयाल नगर के वार्ड क्रमांक 13 में आंगनबाड़ी भवन का उल्लेख नहीं है।

(5) बेलतरा विधानसभा के मंगला केन्द्र क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 13 पंडित दीनदयाल नगर में आंगनबाड़ी भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।